न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— गजेन्द्र सिंह राठौड़, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—74/2023/75 एल.आर.एक्ट (2023/74)

1. गोपाल लाल कुमावत पुत्र स्व0 श्री हरिराम कुमावत, जाति—कुमावत, निवासी ग्राम सिलोरा, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, किशनगढ जिला अजमेर।
3. ग्राम पंचायत सिलोरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर जरिए सरपंच।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ विरूद्ध निर्णय दिनांक 23.06.2021 राजस्व वाद 2021/194

उपस्थितः—

1. श्री रूपक शर्मा, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 01, 02
3. रेस्पोडेंट संख्या 03 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—11.01.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 2021/194 में पारित निर्णय दिनांक 23.06.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट की पुश्तैनी कब्जे काश्तशुदा आराजी जिसके मूल खसरा नम्बर 109 है,ग्राम सिलोरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर में अवस्थित है। उक्त खसरा नम्बरान के बाबत अपीलांट के पिता स्व0 श्री हरिराम पुत्र रामदयाल द्वारा तहसीलदार किशनगढ से खसरा नम्बर 109 में से 5 बीघा भूमि बाबत आवंटन चाहा था, जिस पर तत्समय दिनांक 28.6.1963 को तहसीलदार ने अपीलांट के पिता को भूमिहीन व्यक्ति मानते हुए काश्त हेतु खसरा नम्बर 109 में से 5 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 18.7.1963 को कैम्प सिलोरा में आवंटन किया गया। यहां यह कहना आवश्यक होगा कि अपीलांट के पिता स्व0 हरीराम कुमावत ही उक्त आवंटनशुदा आराजी पर काबिज काश्त थे जिनके मरणोपरांत गोपाल

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

के नाम उक्त खसरे परिवर्तनशील से पूर्णतया साबित होता है जिसमे अपीलांट गोपाल के नाम उक्त खसरे का अंकन काष्तकार के कॉलम में किया हुआ है अपने पिता स्व0 श्री हरिराम के जीवित रहते हुए उनके साथ विवादित आराजी पर काबिज काष्त चला आ रहा है और समय–समय पर उक्त आराजी के बाबत लगान अदा करता आया है जिसके साक्ष्य, सबूत बाबत लगान रसीदो की प्रतियां अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जा रही है। अपीलांट की भूमि पर दिनांक 5.2.2023 को कुछ सरकारी कर्मचारीगण उपस्थित हुए और अपीलांट को चेतावनी दी कि तुरंत प्रभाव से विवादित आराजी को खाली कर देवे क्योंकि इस विवादित आराजी पर उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ के आदेश क्रमांक/राजस्व/2021/193 दिनांक 23.6.2021 को खसरा नम्बर 214/109 रकबा 15 बीघा किस्म गैर मुमकिन डूंगरी मे सरकारी व सार्वजनिक भवनो हेतु आरक्षित भूमि में से 1 बीघा भूमि राजकीय कार्यालय भू0अ0निरीक्षक वृत्त सिलोरा के कार्यालय भवन निर्माण हेतु आवंटित कर दी गई है। उक्त आवंटन राजस्थान भू–राजस्व (स्कूल, कॉलेज, चिकित्सालय, धर्मषाला, सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय भूमि कृषि भूमियों का आवंटन) की षर्ते 1963 के अंतर्गत की गई है, तब अपीलांट को सर्वप्रथम इस बात की जानकारी हुई कि उसकी पैतृक आवंटनशुदा भूमि जिसका आवंटन उसके पिता स्व0 हरीराम के पक्ष में दिनांक 18.7.1963 को आवंटन किया गया था वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी किशनगढ ने बिना अपीलांट को नोटिस दिए व बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किए ही अपने आदेश दिनांक 23.6.2021 को अन्य प्रयोजनार्थ से आवंटन कर दिया है अतः अपीलांट उपखण्ड अधिकारी किशनगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.6.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 03 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 96 सीपीसी पर निवदेन किया कि वादग्रस्त आराजीयात का प्रार्थी के स्व0 पिता श्री हरीराम को तहसीलदार, किशनगढ द्वारा विधिवत जांच करने के पश्चात दिनांक 18.7.1963 को विधिवत आवंटन किया गया था तब से अपीलांट के पिता हरीराम एवं उनके स्वर्गवास के पश्चात अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा प्रार्थी अपीलांट का वादग्रस्त आराजी में हित निहित होने से वह उपखण्ड अधिकारी किशनगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.6.2021 से व्यथित एवं पीडित पक्षकार होने से उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना आवश्यक है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी के तहत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. अभिभाष अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी किशनगढ ने अपीलांट को बिना विधिवत नोटिस दिए एवं बिना सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किए एकतरफा में आदेश दिनांक 23.6.2021 को पारित कर

राजस्व अपील प्राधिकारी

दिया। प्रार्थी को उक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 5.2.2023 को उस समय हुई जब राजस्व कर्मचारी द्वारा मौके पर आकर प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दी कि भूमि का कब्जा हटा लेवे यहां सरकारी भवन का निर्माण होगा तब प्रार्थी दिनांक 8.2.2023 को उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में आकर मालूमात की तो पता चला कि भूमि का आवंटन भवन निर्माण हेतु कर दिया है जिस पर उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु दिनांक 8.2.2023 को आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर नकल दिनांक 8.2.2023 को प्राप्त हो गई तत्पश्चात प्रार्थी अपने गांव गया और फीस आदि की व्यवस्था कर आज अजमेर आया और वकील से सम्पर्क कर अपील तैयार करवा कर बिना किसी विलंब के आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि नैसर्गिक न्याय का यह मूलभूत सिद्धांत है कि अगर कोई आदेश या निर्णय किसी व्यक्ति को नोटिस देकर जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत करने का एक अवसर दिया जाएगा, प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट जो कि वर्षो से विवादित आराजी का अपने पिता के समय से आवंटन होने से आज दिनांक तक खातेदार है और उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है, को उपखण्ड अधिकारी किशनगढ ने बिना नोटिस जारी किए एवं बिना साक्ष्य, जवाब व सुनवाई का अवसर प्रदान किए ही अपना एकतरफा आदेश दिनांक 23.6.2021 को पारित किया है। विवादित आराजी का आवंटन तहसीलदार किशनगढ द्वारा अपीलांट के पिता स्व0 श्री हरीराम के पक्ष में दिनांक 18.7.1963 को विधिवत जांच करने के पश्चात किया गया था उक्त आवंटन पर स्पष्ट लिखा है कि अपीलांट के पिता जो कि एक भूमिहीन व्यक्ति है उन्हें काश्त हेतु भूमि दिया जाना उचित है। तत्समय पारित उक्त आवंटन अपीलांट द्वारा संदेह से परे आज तक यह मानकर चला आ रहा है कि अपीलांट के पिता ही विवादित आराजी के खातेदार है। कालांतर में अपीलांट पर धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के नोटिस भी तहसील कार्यालय से जारी किए गए जो भी संदेह से परे अपीलांट के कब्जे को बखूबी दर्शाता है खसरा परिवर्तनशील में भी अपीलांट का नाम काश्तकार के कॉलम में दर्ज चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में यह सभी आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध है कि अपीलांट उक्त भूमि पर वर्षो से काबिज काश्त चला आ रहा है ऐसी स्थिति में अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए पारित आदेश दिनांक 23.6.2021 निरस्त किए जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ को यह आवंटन करने से पूर्व सर्वप्रथम इस बात की जांच कर लेनी चाहिए थी कि वर्तमान में जिस भूमि के हिस्से का आवंटन वे कर रहे है उक्त भूमि रिक्त भी है या नहीं। किंतु उपखण्ड अधिकारी ने इस तरह की जांच नहीं की अन्यथा जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट आता कि विवादित आराजी पर अपीलांट अपने पिता के समय से काबिज काश्त होकर चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में नियम विरूद्ध आवंटन दिनांक 23.6.2021 को निरस्त किए जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

11.2024
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

ने जो आवंटन किया है उक्त आवंटन की शर्त–3 का अगर अवलोकन किया जावे जिसमें स्पष्ट लिखा है कि भूमि का उपयोग सर्वथा उस प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा जिसके लिए आवंटन किया गया है और उस भवन का सनिर्माण जिसके लिए भूमि का आवंटन किया गया है कब्जा सौंपने के 6 माह के भीतर–2 प्रारम्भ कर दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रकरण में कब्जा किसी ओर का है अर्थात कब्जा अपीलांट का है और बिना विधिवत प्रक्रिया से गुजरे मात्र मौके पर आकर अपीलांट को राजस्व कर्मचारियों द्वारा यह मौखिक चेतावनी दी गई कि उक्त आराजी को तुरंत प्रभाव से खाली कर देवे यहां पर उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के आदेश दिनांक 23.6.2021 की पालना में निर्माण होना है। मात्र यह कहकर संपूर्ण विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट के विरूद्ध किया गया है ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी किशनगढ का यह आवंटन आदेश आवंटन शर्तो की अवहेलना करने के आधार ही निरस्त किए जाने योग्य है। तत्समय वर्ष 2017 में जब अपीलांट को अपने कब्जे काश्त आराजी पर कृषि कार्यों में उन्नति हेतु बिजली कनेक्शन की आवश्यकता पडी तब ग्राम पंचायत सिलोरा द्वारा ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया जो अपने आप में इस बिंदु का स्पष्ट द्योतक है कि ग्राम पंचायत सिलोरा भी अपीलांट को विवादित आराजी का ही खातेदार काश्तकार मानती है ऐसी स्थिति में अपीलांट के विरूद्ध यह आवंटन दिनांक 23.6.2021 किया गया है वह निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 2021/194 में पारित निर्णय दिनांक 23.06.2021 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 के दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि अपीलार्थीया द्वारा किए गए कथन विरोधाभासी है एंव प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अपीलार्थीया व्यथित व हितबद्ध पक्षकार की श्रेणी में नहीं होने से उसे पक्षकार संयोजित नहीं किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की अपीलांट को शुरू से जानकारी थी अपीलांट ने जानबूझ कर मियाद बाहर अपील पेश की है अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

9. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

11.11.2024
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

10. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत पी–14 से स्पष्ट है कि अपीलाधीन भूमि पर वह 1999–2000 व 2001 में अतिक्रमी की हैसियत से काबिज था अतः वह व्यथित पक्षकार की श्रेणी में माना जाएगा उसे अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

11. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया गया यह सही है कि अपीलाधीन आदेश पारित करते समय उपखण्ड अधिकारी द्वारा उसे सुना नही गया अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 5.2.2023 को राजस्व कर्मचारियों के मौके पर जाने पर तथा उनके द्वारा कब्जा हटा लेवे की बात पर उसे अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई दिनांक 8.2.2023 को नकल प्राप्त की तथा शीघ्र उसके द्वारा अपील प्रस्तुत की गई। न्यायालय हाजा में अपीलांट द्वारा दिनांक 13.2.2023 को अपील प्रस्तुत करना पाया जाता है। जानकारी दिनांक से अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

12. बहस उभयपक्ष सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवंटन से संबधित आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया उक्त आवेदन पत्र फोटोकापी के रूप में है तथा इसमें की गई लिखावट स्पष्ट नहीं है। उक्त आवेदन पत्र के पिछले हिस्से में यह अंकित है कि कैम्प सिलोरा दिनांक 14.7.1963 उसके नीचे यह अंकित है आज यह दरखवास्त मजमा आम रूबरू कमेटी के समक्ष पेश हैं। यह भी अंकित किया है कि खसरा संख्या 109 में 5 बीघा लेना चाहता है। नीचे की और अंकन है कि लिहाजा खसरा नम्बर 109 में 5 बीघा गैर मुमकिन बरडा 10 साल के लिए सेटलमेंट से अलोट की जाती है। हरीराम के दस्तखत नीचे अंकित है। मगर उक्त आवंटन के पश्चात हरीराम को गैर खातेदार के रूप में दर्ज करने संबंधित कोई प्रविष्टि से संबंधित दस्तावेज अपीलांट पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही तहसीलदार द्वारा कौन से नियमों में उक्त आवंटन किया गया था यह भी वक्त बहस वकील अपीलांट द्वारा नहीं बताया गया।

13. पत्रावली पर उपलब्ध खसरा परिवर्तनशील संवत 2057 वर्ष 1999–2000 फसल खरीफ ग्राम सिलोरा के अनुसार खसरा नम्बर 109/1 मिन पर गोपाल पुत्र हरीराम कुमावत का 3 बीघा क्षेत्रफल पर कब्जा है, भूमि की किस्म गैर मु0 मगरी भूमि अंकित की गई है। तथा कॉलम संख्या 4 में फसल के नाम की जगह बीडा कब्जा अंकित किया हुआ है। कॉलम संख्या 16 में टिप्पणी के अंतर्गत मिसल नम्बर 402/2000 से बेदखल अंकन किया हुआ है। संवत 2058 फसल खरीफ में गोपाल पुत्र हरीराम कुमावत का 5 बीघा क्षेत्रफल पर बीडा व बाड के माध्यम से कब्जा बताया गया है, भूमि को गैर मु0 मगरी भूमि अंकित किया हुआ है। अपीलांट के विरूद्ध मिसल नम्बर 303 कायम किए जाकर जुर्माना राशि 1500 रूपए दिनांक 26.9.2001 अंकित किया हुआ है। टिप्पणी में पुनः अतिक्रमण लिखा हुआ है। स्पष्ट है कि अपीलांट अतिक्रमी की हैसियत से भूमि पर 1999–2000 व 2001 वर्ष में काबिज था जिसके विरूद्ध कार्यवाही की जाकर उसे बेदखल किया गया है। अपीलांट द्वारा कोई काश्त किया जाना पी–14 के दस्तावेज में अंकन नहीं है। पत्रावली पर मौजूद ग्राम पंचायत सिलोरा के सरपंच द्वारा जारी पत्र दिनांक 3.08.2017 से स्पष्ट है कि इस दिनांक से पूर्व अपीलांट के पास विद्युत कनेक्शन नहीं था। दिनांक 23.6.2021 से

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ द्वारा खसरा नम्बर 214/109 रकबा 15 बीघा किस्म गै0मु0 डूंगरी को सरकारी व सार्वजनिक भवनों हेतु आरक्षित भूमि में से एक बीघा भूमि राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय भवन व आवास सिलोरा हेतु सशर्त 99 वर्ष की कालावधि के लिए पटटा धृति के आधार पर की गई है तथा पटटे की अवधि तीस वर्ष के लिए बताई गई है। इसके पश्चात नामांतरकरण संख्या 396 दिनांक 8.7.2021 से उक्त भूमि संस्था के नाम दर्ज की गई है। जमाबंदी संवत 2067–2070 के ग्राम सिलोरा खाता संख्या नया 146 से उक्त भूमि पशु चिकित्सालय के नाम दर्ज है। आवंटन भूमि का खसरा नम्बर 270/214 है। जमाबंदी संवत 2067–2070 ग्राम सिलोरा के अनुसार खसरा संख्या 214/109 रकबा 15 बीघा गै0मु0 डूंगरी पूर्व से ही सरकारी व सार्वजनिक भवनों हेतु आरक्षित है। उक्त आरक्षित भूमि में से ही वर्तमान अपीलाधीन आवंटन किया गया। पी–14 में अपीलांट का कब्जाधीन खसरा नम्बर 109/1 मिन तथा 109/1/2 बताया गया है जबकि सेट अपार्ट के लिए खसरा नम्बर 214/109 में से एक बीघा भूमि पशु चिकित्सालय हेतु आवंटित की गई है। जिसका नया खसरा नम्बर 270/214 है। आवंटन से संबंधित उपखण्ड अधिकारी की पत्रावली का भी अवलोकन किया भूमि आवंटन बाबत चेक लिस्ट के बिंदु संख्या 19 में यह अंकित है भूमि पर अतिक्रमण हो तो उसका विवरण इसके सामने की ओर "नहीं" अंकित किया हुआ है, अर्थात आवंटित भूमि पर कोई अतिक्रमण चेक लिस्ट तैयार करने के समय नहीं था। मौका रिपोर्ट दिनांक 22.10.2020 के अनुसार मौके पर भूमि को रिक्त बताया गया मौक़ा रिपोर्ट तैयार करते समय कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया। ग्राम पंचायत सिलोरा द्वारा भी अपने पत्र कमांक दिनांक 5.10.2020 से यह बताया है कि उक्त अपीलाधीन आवंटन बाबत ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिया जाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया। उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त आवंटन राजस्थान भू राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं, सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमियों का आवंटन) की शर्त के नियम 1963 के तहत एवं राजस्व ग्रुप 6 विभाग जयपुर दिनांक 13.2.2001 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अपीलाधीन आवंटन आदेश जारी किया है। उक्त नियम के तहत नियम 2 में आवंटित किए जाने वाले अधिकतम क्षेत्र का उल्लेख है जिसके अनुसार औषधालय /आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं पुशपालन विभाग हेतु 1.5 एकड भूमि आवंटित की जा सकती है। इसी नियम के नियम 4 में आवंटन कौन करेगा इसका उल्लेख किया हुआ है जिसके मुताबिक औषधालय/आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं पशुपालन विभागों के उपकेंद्रों हेतु अधिकतम विहित क्षेत्र तक अधिकारिता रखने वाले उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया जाएगा। अपीलाधीन आदेश में अधिकतम आवंटित किए जाने वाले क्षेत्रफल से कम क्षेत्रफल संबंधित उपखण्ड अधिकारी किशनगढ द्वारा किया गया जो नियमानुसार सही है।

14. संपूर्ण विवेचन से यह स्पष्ट है कि आवंटन दिनांक को आवंटित किया गया क्षेत्रफल पर कोई अतिक्रमण नहीं था तथा भूमि रिक्त थी। आवंटी द्वारा 1999–2000 एवं 2001 में अपने कब्जे बाबत पी–14 प्रदर्शित की जिनमें कॉलम नम्बर 16 में अपीलांट को अतिक्रमी व दुबारा अतिक्रमी

बताया गया है तथा अतिक्रमण हटाने बाबत भी अंकन किया गया है साथ ही जुर्माना राशि का उल्लेख भी किया है जिसमें अपीलांट की स्थिति एक अतिक्रमी की हैसियत से है। हरिराम के पक्ष में किए गए आवंटन के बाद उसे गैर खातेदारी मिली हो इस बाबत कोई राजस्व दस्तावेज यथा नामांतरकरण, जमाबंदी अपीलांट पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई। ना ही अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक को अपने कब्जे बाबत कोई दस्तावेज उनके द्वारा प्रदर्शित किया गया। उक्त अपीलाधीन आदेश पूर्व में सेट अपार्टेट भूमि के कुछ हिस्से हेतु जारी किया गया था। अपीलांट को मूल सेट अपार्ट आदेश के विरूद्ध अपील में जाना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं किया गया। उपखण्ड अधिकारी द्वारा नियमों के अनुसरण में सक्षम अधिकारिता के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत ही अपीलाधीन आवंटन आदेश जारी किया गया। जिसमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

15. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ प्रकरण संख्या 2021/194 दिनांक 23.6.2021 को सारहीन होने से खारिज कि जाती है। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ द्वारा ग्राम सिलोरा में खसरा नम्बर 214/109 रकबा 15 बीघा किस्म गै0मु0 डूंगरी भूमि में से सरकारी व सार्वजनिक भवनों हेतु आरक्षित भूमि में से एक बीघा भूमि राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय भवन व आवास सिलोरा हेतु किए गए आवंटन आदेश दिनांक 23.6.2021 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

16. निर्णय आज दिनांक 11.01.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

11.1.2024

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर